न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 33 / 01

दायर दिनांक– 25/05/2001

निर्णय दिनांक– 28.05.2015

1:–श्री मनोहरलाल पिता किशोरलाल उर्फ कचरूलाल संचावत महाजन निवासी सागवाडा पेशा नोटरी ।

–वादी–

बनाम

1:–श्रीमती मणी बेवा पेमजी डामोर भील निवासी मडकोला के कयम मुकाम ।
2:–श्री थावरा पिता पेमजी डामोर भील निवासी मडकोला के कायम मुकाम।
2–1श्रीमती हसना बेवा थावरा डामोर भील निवासी मझोला।
2–2 लक्ष्मण पुत्र थावरा।
2–3 मगन पुत्र थावरा।
2–4 हुकी पुत्री थावरा।
2–5 शान्ति पुत्री थावरा सभी डामोर भील निवासीयान मडकोला तहसील सागवाडा।
3–श्री दौला पिता पेमजी डामोर भील निवासी मडकोला के कायम मुकाम ।
3–1 श्रीमती रामीबाई बेवा दौला डामोर भील निवासी मडकोला ।
3–2 रामजी पुत्र दौला।
3–3 रमेश पुत्र दौला ।
3–4 गणेश पुत्र दोला नाबालिंग जरिये वली वालदा माता श्रीमती रामीबाई ।
3–5 बसन्तलाल उर्फ बसन्तीलाल पुत्र दौला ।
3–6 नानी पुत्री दौला सभी डामोर भील निवासी मडकोला।
4–श्री सवजी पिता पेमजी डामोर भील निवासी मडकोला।
5–श्री हांजिया पिता पेमजी डामोर भील निवासी मडकोला।
6–श्री खेमजी पिता गोतम डामोर भील निवासी मडकोला के कायम मुकाम ।
6–1 श्री ईश्वर पुत्र खेमजी डामोर भील निवासी मडकोला।
6–2 थावरी पुत्री खेमजी ।
6–3 पारी पुत्री खेमजी ।
6–4 ईटली पुत्री खेमजी सभी डामोर भील निवासीयान मडकोला।
7–वालजी पिता गौतमा डामोर भील निवासी मडकोला के कायम मुकाम ।
7–1 कुरी पुत्री वालजी डामोर भील निवासी मडकोला ।

–प्रतिवादीगण–

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् दखलयाबी खेत हरजाना

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी किशोरलाल उर्फ कचरूलाल पिता प्यारचन्द्र का दत्तक पुत्र है। और किशोरलाल की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति पर बहैसियत मुतबन्ना लडका के काबिज है। मुतवली किशोरीलाल की आराजी काश्त वादी के खाते दर्ज हो गई है। किशोरीलाल उर्फ कचरूलाल ने अपने खाते वो कब्जे के संवत् 2001 के बन्दोबस्त के खाता नम्बर 243 के दस खेत हस्व जेल रूपया 225/– पेमजी व गौतम के प्रतिवादीया नं 01 व पिता प्रतिवादीगण 2,3,4,5 एवं खेमाजी प्रतिवादी नं.06 एवं वालजी प्रतिवादी नं 07 के पास बमियादी 19 साल रहन रखकर दस्तावेज रहननामा तारिख 25/12/48 को तकमील करके तारिख 27.12.48 को रजीस्ट्री करवा दिया है ये खेत वाले सागवाडा के सेमार पीपरा पाटिया वो तालाब साचेरा के उपरी तरफ है और तमाम खेत बन्दोबस्त हाल में वादी के नाम खाता नम्बर 760/2 में दर्ज है।

1–खेतनामी मेलडी नं 3897 सुखी रकबा 0.06 हाल नम्बर 5092
2–खेत नामी मेलडी नं 3898 सुखी रकबा 1.05 हाल नम्बर 5093 से 5095
3–खेत नामी पीपलावाली नं 3900 सीरमा रकबा 2.00 हाल नम्बर 5097 से 5099
4–खेत नामी ढुढावाला नं 3902 रकबा 2.00 हाल नम्बर 5101
5–खेतनामी ढुढावाला नं 3906 रहन रकबा 2.06 हाल नम्बर 505
6–खेतनामी ढुढावाला नं 3908 सीरमा रकबा 1.19 हाल नम्बर 5079,5107,5113
7–खेतनामी भाटेडा नं 3909 रकबा 1.18 हाल नम्बर 5114 से 5119
8–खेतनामी डाबरी नं 3910 रकबा 0.04 हाल नम्बर 5121
9–खेतनामी भाटडा नं 3911 रकबा 0.17 हाल नम्बर 5121
10–खेतनामी भाटडा नं 3912 रकबा 1.03 हाल नम्बर 5127,5132

मुर्तहीन पेमजी फौत हो चुका है और उसके कायम मुकाम उसकी बेवा प्रतिवादी नं01 वो लडके प्रतिवादीगण नं 02 से 05 है, और मुर्तहीन प्रतिवादी नं 06–7 मौजूद है । और मकद्दुम खेत पर बहैसियत मुश्तेहिनामा के प्रतिवादीगण का कब्जा है। मयाद रहने 19 साल की दिनांक 25.12.67 को समाप्त हो चुकी है। और तारिख 25.12.67 से प्रतिवादीगण का खेत मुतदावीया पर अतिक्रमी कब्जा बना हुआ है। जो कि कई बार कहने पर एवं नोटिस देने पर भी प्रतिवादीगण उक्त खेतों का कब्जा नही छोडते है। प्रतिवादीगण ने इन खेतों सेमुतवातीर 19 साल तक पैदावार का काफी फायदा उठाया है जिससे प्रतिवादीगण जो रहन पाने के हकदार नही है। असली रहन श्री किशोरलाल उर्फ कचरूलाल फोत हो जाने से वादी मुतवली राहिन का मुतबन्ना लडका जायज वारीस होने से मरहुम खेतों का कब्जा प्रतिवादीगण से ले सकने का मुस्तहक है। म्याद रहन समाप्त हो जाने के बाद भी प्रतिवादीगण ने अतिक्रमी कब्जा रखकर खेत मुतदावीया में काश्त करके सन् 1968,1969,1970,व 1971 की दोनों फसलों में चना गेहुँ आदि पैदावारी हासील कर फायदा उठाया है। और वादी को हरसाल रू 400/– के हिसाब से इन चार साल का पैदावारी का रू 1600/– का हरजाना हुवा है जो प्रतिवादी गण से वादी पाने का मुस्तहक है प्रतिवादीगण को खेत मुतदाविया का कब्जा सुपुर्द्ध कर देने म्याद रेहन खत्म होने के बाद खेतों का कब्जा सुपुर्द्ध नही करते है न हरजाना देते है । इस वास्ते रहननामा तारिख 25.12.48 के जरिये म्याद खतम होने की तारिख 25.12.67 को एवं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

नोटिस की तारिख 24.02.69 को बिनाये दावा पैदा हुई । अतः हस्ब जेल डीगरी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के सादिक फलाई जावे कि–

खेत मुतदावीया जिनका विवरण दावा की कलम 2 एवं रहननामा 25.12.48 में दर्ज है का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को सुपुर्द्ध करवाया जावें वो असल रहननामा प्रतिवादीगण कब्जे से वादी को सुपुर्द्ध करवा जावें । प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वे इन खेतों में आयन्दा कभी दखल नही करें , हरजाना रूपया 1600/– काश्त कर पैदावार हासिल करने का प्रतिवादीगण पैदावार हासिल करे उसका भी हरजाना दिलावें एवं मुकदमा का खर्चा दिलवाया जावें। इस आशय का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया, प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बतलाया कि वादी की तथाकथित गोद हिन्दु लॉ ऑफ एडाशन 1956 के प्रावधान के अनुसार नही होने से अवैध है और इससे प्रतिवादी बाधित नही है। श्री किशोरीलाल के खाता नं 760/2 में अंकित आराजी वादी के खाता नं 760/2 में अंकित आराजी वादी के खाता में प्रतिवादीगण की अज्ञानता में हुई है इससे प्रतिवादी बाधित नही है खाता नम्बर 760/2 बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकारी पूर्ण आदेश के किया गया है बन्दोबस्त विभाग के अधिकारीयों को यह भूमि वादी के खाता में अंकित करने का अधिकार नही था। प्रतिवादीगण के अधिकारों को हानि नही पहुँचती है, प्रतिवादीगण का खेतों पर कब्जा बहैसियत मुर्तहिन नही है बल्कि प्रतिवादीगण इन खेतों को उनके पूर्वजों के समय से काश्त कर रहे है। प्रतिवादी अतिक्रमी नहीं है, उनका जायज रूप में कब्जा इन खेतो पर है किशोरीलाल उर्फ कचरूलाल का वादी दत्तक पुत्र होना स्वीकार नहीं है खेतो का फकुल रहन नही करा सकता है खेत रहन नही है प्रतिवादीगण से वादी हर्जाना नही पा सकता है, प्रतिवादीगण का कब्जा तीस वर्ष से चला आ रहा है, किशोरीलाल के जीवनकाल में प्रतिवादीगण को भूमि लगान पर काश्त करने श्री किशोरीलाल ने सुपुर्द्ध की तब से लगातार प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण को श्री किशोरीलाल ने खेत काश्त के लिये सुपुर्द्ध किये उसके पश्चात प्रतिवादीगण ने खेतोको दुरस्त किया है,खेत ,उबड खाबड,उचें नीचे थे उनको खाडे काट काट कर समतल बनाया है पाले बाजी ,झाडियॉ, साफ की है ,इन खेतों पर थुवर की बाड लगाई है इसके अलावा चालीस फीट कुँवा खोदा उसकी पत्थरो की चुनाई कर पत्थरों का रेट चढाया है शनै–शनै बीस हजार रूपया खर्च कर उन्नत बनाये है,वादी ने दावा परेशान करने खेत छिनने के नियत से किया है ,प्रतिवादीगण को रहन होन की किसी प्रकार की जानकारी नही है अगर खेत रहन होना वादी प्रमाणित करें तो प्रतिवादीगण का विकल्प में निवेदन है कि रूपया बीस हजार वादी से प्राप्त करने का अधिकारी है प्रतिवादीगण से इन खेतों में काश्त करने पांच मकान बनाये है और दो इस वक्त तामीर किया जा रहे है। वादी किशोरीलाल के वहॉ दत्तक जाना प्रमाणित करे तो प्रतिवादीगण का निवेदन है कि गोद नामा Law adoption नहीं है और The Hindu Adoption & Maintence Act 1956 के Provision के विपरीत है, और Null and Void है Adoption के अन्तर्गत प्रतिवादीगण से वादी खेतों को समूल रहन नही करा सकता है।

प्रकरण में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/75 निर्णय दिनांक 19/10/82 की अपील होने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 140/82 निर्णय दिनांक 06/05/83 से अपील अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुवे पक्षकारान को अपने अपने पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

सिद्ध करने हेतु अतिरिक्त साक्ष्य का अवसर देने प्रस्तुत शुदा रेकार्ड पर युक्तियुक्त ढंग से विचार कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश के साथ प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 18/06/85 को संशोधित जवाब प्रस्तुत किया कि वादीगण तथाकथित गोद हिन्दु लॉ ऑफ एडप्शन 1956 के प्रावधान के अनुसार नही होने से अवैध है, और इससे प्रतिवादीगण बाधित नही है, किशोरलाल के खाता नम्बर 760/2 में अंकित आराजी वादी के खाता में अंकित प्रतिवादीगण की अज्ञानता में हुई है, इससे प्रतिवादीगण बाधित नही है, खाता नम्बर 760/2 बन्दोबस्त विभाग में बिना किसी अधिकारी वैध आदेश के किया गया है, बन्दोबस्त के अधिकारी को यह भूमि वादी के खाता में अंकित करने का अधिकारी नही था, प्रतिवादीगण के पास पक्ष द्वारा रहन नही रखे गये है। प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत मुर्तहीन नही है बल्कि खेतों को उनके पूर्वजों के समय से कमा रहे है। प्रतिवादीगण अतिक्रमी नही है जायज रूप से कब्जा इन खेतों पर है किशोरलाल उर्फ कचरूलाल का वादी दत्तक पुत्र नही है वह खेतों को माकुल रहन नही करा सकता है प्रतिवादीगण से वादी हर्जाना नही पा सकता है वादी किसी प्रकार की दादरसी प्रतिवादीगण के विरूद्ध नही पा सकता है अतः वाद निरस्त फरमाया जावें। विशेष विवरण में बतलाया कि आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा तीस साल से चला आ रहा है किशोरीलाल के जीवनकाल में प्रतिवादीगण को भूमि लगान पर काश्त करने किशोरीलाल को सुपुर्द्ध की तब से लगातार प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण को श्री किशोरीलाल के खेत काश्त के लिये सुपुर्द्ध किये उसके पश्चात प्रविादीगण ने खेतो को दुरस्त किया, एक कुंआ करीब चालीस फीट खोदा है पत्थरों की चुनाई कर लोहे का रबर लगाया इस प्रकार शनै शनै रूपया 20,000/- अक्षरे रूपया बीस हजार खर्च कर खेतों को उन्नत बनाये, वादी ने दखल, परेशान करने, छीनने की दृष्टि से किया है प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की जानकारी नही है प्रतिवादीगण के पूर्वज उपरोक्त भूमि के शिकमी काश्तकार थे। उनको कब्जा प्राप्त नही हो सकेगा यह सोचकर तथाकथित रहननामा फर्जी बनाया गया है। किशोरीलाल महाजन था प्रतिवादीगण गरीब आदिवासी भील है भीलों के पास खेत एक महाजन द्वारा केवल रूपया 225/-प्राप्त कर रहन रखना एक आश्चर्य की बात है तथाकथित रहननामा 25.12.48 प्रतिवादीगण को बेदखल करने के उद्देश्य से फर्जी तैयार किया जाकर पोशीदा तौर पर रजिस्ट्री करवाई है इसमें प्रतिवादीगण के शिकजी काश्तकार के अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है प्रतिवादीगण की हैसियत शिकजी काश्तकार की होने से पुराने कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में अंकित नही होने से उन्हे खातेदार घोषित किया जावें। तथा राजस्व रेकार्ड में इस प्रकार की दुरस्ती करने तथा रेकार्ड में अकिंत करने की डिक्री प्रदान की जावें। प्रतिवादीगण ने इन खेतों में काश्त करने पांच मकान बनाये है और दो मकान सन् 72 से तामीर किये जा रहे है। वादी श्री किशोरीलाल के यहा दत्तक जाना प्रमाणित करें तो प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वैध गोद lowful adoption नही है।

उपरोक्तानुसार जवाब प्रस्तुत होने पर वकील वादी द्वारा तरमीम जवाबुल जवाब प्रस्तुत करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, संशोधित जवाबुल जवाब प्रस्तुत करने दिनांक 14/02/86 को प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वकील वादी द्वारा संशोधित जवाब प्रस्तुत कर बतलाया कि शुरू जवाब दावा की कम संख्या 11 में सन् 72 से 30 वर्ष पूर्व इबारत सन् 72 से ओर बढा दी है, इस तरह शुरू जवाब दावा की कम संख्या 14 से

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

इबारत सन् 72 से और जोड कर लिख दिया है इस तरह तरमीम जवाब दावा काबिल खारिज के है ,वादी के पिता द्वारा विवादग्रस्त भूमि डूँगरपुर स्टेट के अधिनियम के तहत सन् 1948 में कब्जाशुदा रहन रखी गई है और उस वक्त के प्रचलित कानून अनुसार सक्षम सबरजिस्ट्रार कार्यालय से रहननामा की रजिस्ट्री हुई है और रहन की हैसियत से प्रतिवादीगण के पास विवादग्रस्त भूमि कानुनन मानी जा सकती है,दस्तावेज रहननामा पुराना है और म्याद रहन 19 साल की समाप्त होने पर अन्दर म्याद दावा किया गया है सन् 1948 में शिकमी काश्तकार के मुताबिक कोई कानुन प्रचलित नही था रहननामा फर्जी बनाया प्रतिवादीगण द्वारा जो प्ली ली गई है बिल्कुल गलत है और यह भी गलत है कि सन् 1948 में शिकमी काश्तकार से कब्जा प्राप्त नही हो सकता है वादी के पिता किशोरीलाल एक गरीब स्थिति का महाजन था और रहन लेने वाले भीलान (आदिवासी) के मकानात पास विवादग्रस्त भूमि होने से एवं स्वंय किशोरीलाल एक वृद्ध होने से एवं स्वंय काश्त करने की स्थिति में नही होने से और रूपयों की जरूरत होने से प्रतिवादी के पास रहन रखी थी ,रहननामा 19 साल की म्याद का है ,सरकारी रजिस्ट्रीशुदा है रहन देने वाला किशोरीलाल रहन होने के बाद करीब 15 साल हुवें फोत हो चुका है ऐसी हालत में भविष्य के लिये विवादग्रस्त भूमि कब्जा लेनें के उद्धेश्य से फर्जी रहननामा बनाने का किसी तरह का कयास नही किया जा सकता है । वादी के इस दावा में प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में विवादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित करने की दाद कानुनन नही पा सकते है वादी किशोरीलाल का मुतबन्ना लडका है हस्व जाप्ता गोद नशीनी जाति रिवाज के माफिक हुई है जाति में यह रिवाज चला आ रहा है कि बालिंग कोई लडका गोद रखा जा सकता है गोद नशीनी का रिवाज भी हुआ वो दस्तावेज गोद नशीनी के हस्व जाप्ता सन् 1963 में रजिस्ट्री हुई और विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज हो चुकी है इसमें प्रतिवादीगण के तरफ से कभी भी कोई कार्यवाही नही होना बतलाया ।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार संशोधित जवाब एवं जवाबुल जवाब प्रस्तुत होने पर दिनांक 24/05/86 को नियमानुसार पृथक पृथक तनकीयात कायम की गई ।

1—क्या मौजा साचेला के खसंरा नं 760/2 की आराजीयात पर प्रतिवादीगण का रहन के रूप में कब्जा है?

—प्रतिवादी—

2—क्या रहन रखी गई भूमि पर रहिनग्रहिता के हस्ताक्षर सहमति के आवश्यक है?

—वादी—

3—क्या विवादग्रस्त आराजीयात श्री किशोरलाल के जीवनकाल में प्रतिवादीगण को काश्त करने श्री किशोरलाल ने सुपुर्द्ध की तब से अब तक काश्त कब्जा चला आ रहा है?

—प्रतिवादी—

4—क्या विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण के मकान एवं कुआं एवं पाले डाल कर आबादी की है। इस दौरान वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को रोका।

—वादी—

5—क्या रहननामा की म्याद दिनांक 25/12/67 को समाप्त होने एवं नोटिस दिनांक 24/02/69 देने के बाद दावा दिनांक 15/10/71 को म्याद में प्रस्तुत किया है ।

—प्रतिवादी—

6—दादरसी ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम कर वादी की शहादत ली गई, वादी मनोहरलाल ने दिनांक 04/06/87 को उपस्थित होकर बयान दिये जिसे PW3 मार्क किया गया । वादी ने अपने बयान में बतलाया कि किशोरीलाल की आर्थिक स्थिति ठीक नही थी वे गरीब थे। 1948 के पहले खेतों की कीमत बहुत कम थी EXP-8A खेत की रहन की नकल है EXP-9A फोटोकॉपी है EXP-10A असल रहननामा की फोटोस्टेट कॉपी है। है EXP-11 की फोटो स्टेट कॉपी EXP-11A है EXP-12 की फोटोकॉपी स्टेट कॉपी EXP-12 A है। EXP-13 की फोटो स्टेट कॉपी EXP-13A है EXP-14 की फोटो स्टेट कॉपी है EXP-14A है EXP-15 की फोटो स्टेट कॉपी EXP-15A है। असल पट्टा EXP-16 की फोटो स्टेट कॉपी EXP-16A है। ये रजिस्ट्रीया खेतों के रहननामा की है सन् 1948 के पहले व आसपास में खेतों की मालियत कम थी ,गोद रखे हुए पिता अपने नाम के आगे अपने पिता प्यारेचन्द किशोलाल लिखना और कभी किशोर भी दस्तखत करना बतलाया । खेतों पर प्रतिवादीगण कोई खर्चा नही करता,1948 में किशोरीलाल स्वंय खेती नही करना पास में रहकर खेती करना उनका स्वास्थ्य खराब होने से खेती नही करना बतलाया । वकील प्रतिवादी की जीरह में बतलाया कि EXP-8 से P-15 तक के रहन नामे में वह पार्टी नही है। न ही रहन रखा है न ही रहन लिया है न ही इसमें साक्षी है न ही लिखते वक्त मौजूद था। EXP-8 से P-15 तक यह रहन नामा पर भाषाई फकुल रहन हो जाने की नही है सन् 1948 के आस पास में खेत रहन रखने में या बेचने में कमी शामिल नही करना बतलाया । खेतों पर अक्सर आना जाना रहना ,खुद काश्त नही करना , गोद रखते समय बालिंग होना बतलाया ,रहन रखी जमीन पर कोई मकान नही बना एवं जमीन रखी तब मौजूद नही होना तथा इस बारे में पिताजी द्वारा जमीन रहन रखी वह जानकारी होना बतलाया ।, रहन से पहले प्रतिवादीगण कमाते है। उसकी जानकारी नही होना बतलाया । EXP-8 से P-15 तक जो रहन जमीन रजिस्ट्री है , उसके काश्त के बारे में जानकारी नही है 1948 में किशोरीलाल लगभग 50 वर्ष के थे वो मरें तब उनकी उम्र क्या थी वो भी पता है लेकिन 63 में वो मरें । सन् 1963 में मरें तब अन्दाजन 75 के होगे,गोद रखने के बाद बताया कि यह जमीन रहन रखी है नाथूलाल जी वकील EXP-3 लिखने वाले दादा होना भूमि रहन किसके पास रखी है वह दस्तावेज में नहीं लिखना,जमीन के पास कुआँ होना ,कुआँ पहले से ही होना, कुआँ कितना लम्बा चौडा है। पता नही होना बतलाया । PW-1 वादी के गवाह श्री जयशंकर पिता रामशंकरजी निवासी सागवाडा के बयान लिखे गये अपने बयान में बतलाया कि सन् 1948 से पहले सागवाडा में बहुत सस्ती दर थी खेत गिरवे रखते तो 100/– 200/– रू में रखते थे , नीमा महाजनों के पुरोहित (गोरजी) है निमा महाजनों में शादी शुदा भी गोद जाने एवं बिना शादी शुदा भी गोद जाने का तथा बालिंग उम्र में भी गोद जाने का रिवाज होना बतलाया। जीरह में बतलाया कि गोद जाते है तो लिखा पढी कर रजिस्टर नीमा महाजनों में ही होना बतलाया । अपने सामने पांच दस आदमीयों के रजिस्टर होना बतलाया। कचरूलाल पिता प्यारचन्द्र की जमीन 11/–रू में रहन रखकर उसकी रजीस्ट्री होना बतलाया सागवाडा में रजिस्ट्रार कार्यालय सन् 1962 में खोलना बतलाया।

वादी के गवाह PW-2 श्री सूर्यनारायण पिता चिमनलाल संचावत के बयान लिये गये,अपने बयान में बतलाया कि उसके पिता चिमनलाल वकील थे ,PWP12 अपने पिताजी के हाथ का लिखा होना उस पर A to B अपने पिता के हस्ताक्षर होना एवं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

दस्तावेज रहननामा होना बतलाया । नाथूलालजी वकील को पहचानना EXP-13 एवं 14,11,10,9,8 वकील नाथूलाल के हाल के लिखे दस्तावेज होना एवं उस पर A to B पर दोसी नाथूलालजी वकील के दस्तावत होना बतलाया। सन् 1948 के पहले जमीन की कीमत बहुत कम होना , स्वंय नीमा महाजन वादी के जाति का होना एवं जाति में गोद रखने का रिवाज होना बतलाया।

जीरह में बतलाया कि दस्तावेज में गवाही नही है। पिताजी वकील थे। नाथूलालजी वकील के वहॉ मुॅशी होना एवं उनकें साथ कार्य करना बतलाया । उपर वर्णित व्यक्ति किस वर्ष से गये याद नहीं होना किन्तु उनके हाथ की रजीस्ट्रीया होना तथा उसमें किस–2 में गवाही है याद नही होना एवं वादी मनोहरलाल जाति भाई होना बतलाया।

वादी के गवाह कान्तिलाल पिता गुलाबजी कलाल सागवाडा के बयान लिये गये, अपने बयान में बतलाया कि उसके पिता ने सन् 1946 में खेत किता 4 रहन रू 57/– में रखे थे उसकी रहननामें की रजीस्ट्री असल EXP- 13 दस्तावेज है। फोटो कॉपी EXP-13A है उस समय जमीन की कीमत कम थी । जीरह से बतलाया कि स्वंय ने 1948 में कोई जमीन न तो बेची है न रहन रखी है तथा किसी सौदे में शामिल नही था आदमी को जितनी जरूरत पडती है उतना ही कर्ज लेना बतलाया।

वादी की शहादत पूर्ण होने पर प्रतिवादी की शहादत ली गई ,प्रतिवादी की ओर से गवाह श्री हाजिया पिता पेमा ,धनपाल पिता भेमजी ,नाना पिता हलिया डामोर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादी के गवाह हाजिया पिता पेमा ने अपने बयान में बतलाया कि श्री मनोहर लाल तथाकथित गोदपुत्र नही हे हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है उसको उसकी माता ने गोद मे नही बैठाया,गोदनामे की तारीख को वे 18 वर्ष के थे तथा विवाहित होना बतलाया। विवादित भूमि उबडखाबड थी उससे मेंरी माता श्रीमती मगरी ने तथा परिवार वालों ने समतल बनाई है । पाल मेडबन्दी कर खेत बनाये है । सिचाई करने माता ने कुआ खुदवाकर आबाद किया इससे खेतो में सिंचाई करते है कुऑ की मालिकत दो लाख 2,00000/– रू है सिंचाई करने ट्यूबवेल भी खुदवाया है इसमें पंचास हजार रूपया खर्च हुआ है जमीन के किनारे काश्त करने मकान बनाये है इसमें निवास करते है पेमजी के पास किशोरीलाल के खेत रहन नही रखे थे इन खेतों में श्री पेमा उर्फ पेमजी एवं परिवार काश्त करता था। हमारे परिवार को कभी भी बेदखल नही किया गया था धारा 19 आरटी एक्ट के तहत खातेदारी पाने के अधिकार है जीरह मे बतलाया कि वादी मनोहरलाल को नही जानता है हिन्दु उत्तराधिकारी कानुन भी नही जानता है मगरी बाई माता थी मनोहरलाल को केसरीमल को गोद नही लिया है पिता पेमजी की मृत्यु हुवें पंचास वर्ष हो गये। यह दावा ईश्वरलाल की मृत्यु के बाद से चल रहा है किशोरीलाल महाजन विवादित जमीन सागवाडा में शिव कॉलोनी के पिंछे साचेला तालाब के उपर की तरफ है आज भी जमीन उची नीची है वाद ग्रस्त है जमीन पर कुऑ 80 वर्ष पुराना है। आज खुद का हमारे बाप दादाओं का है। यह कहना गलत है कि जमीन गिरवें रखी हों। इस जमीन की रहन की कोई रजीस्ट्री नही हुई है मेंरी उम्र 65 वर्ष है वाद ग्रस्त जमीन के पास हमारे दुसरे खेत भी है यह कहना सही है कि ट्यूबवेल हमारे खातें की जमीन पर ही है यह बात सही है कि हमने हमारी जमीन पर मकान बनाये है कुछ मकान हमारी जमीन पर है कुछ मकान विवादित जमीन पर है ।

प्रतिवादी के गवाह धनपाल पिता भेमजी ने बयान प्रस्तुत कर बतलाया कि दावा होने से वह वादी मनोहरलाल को जानता है मनोहरलाल तथाकथित गोद पुत्र नही है गोदनामा के समय उम्र 18 वर्ष होकर विवादित होना बतलाते हुवें श्री हाजिया पिता पेमा के

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

बयानों की पुष्टि की है जीरह में बतलाया कि वादी मनोहरलाल को नहीं जानता है उसके बारे में पिताजी ने बतलाया था। मेंरी उम्र 42 वर्ष है मनोहरलाल कही किसी के गोद नही गयें मनोहरलाल की माता कौन थी पता नही है मै केसरीमल को नही पहचानता हुँ, गोदनामा हुऑ ही नही है इसलिये तारिख का पता नही है अगर मेंरी दादी होती थी मगरी बाई की मृत्यु हुवें करीब 20–25 वर्ष हुवें है। मेंरे बडे दादा कहते थे मगरी ने कुऑ खुंदवाया है एवं जमीन समतल करवाई । गिरवेनामा की लिखावट नही हुई या हुंई पता नही यह जमीन साचेला तालाब की उपर की तरफ है यह कहना गलत है कि उक्त जमीन ढलाननुमा है बल्कि समतल है ,विवादित जमीन के अलावा हमारे 10 बीघा काश्त की ओर जमीन है

प्रतिवादी के गवाह नाना पिता हलिया ने बयान प्रस्तुत कर दावा होने मनोहरलाल वादी को जानता हुँ। श्री मनोहरलाल तथाकथित गोदपुत्र नही होना ,गोदनामा के दिन 18 वर्ष की उम्र होकर विवादित होना बतलाते हुए श्री हाजिया पिता पेमा की बयानों की पुष्टि की है । जीरह में वादी मनोहरलाल को नही जानना केसरीमल को नही जानना ,एवं मनोहरलाल को कभी नही मिलना बतलाया है मगरी बाई काका बाप की मॉ होना एवं मनोहरलाल की मॉ को नही पहचानना बतलाया। मनोहरलाल व केसरीमल को नही जानना बतलाते है फिर भी कह रहा हुँ कि मनोहरलाल को केसरीमल ने गोद नही लिया , पेमजी को नही देखना ,पेमजी की मृत्यु कब हुई नही बता सकना , बतलाते हुए मनोहरलाल शादीशुदा था यह पता नही होना ,केसरीमल किस जाति का था पता नही होना ,विवादित जमीन साचेला तालाब के उपर होना बतलाया । वाद ग्रस्त भूमि पर 80—100 वर्ष पूर्व का कुऑ होना ,अपनी उम्र 40 वर्ष होना ,अपने पिता मगरी के पति चचेरे भाई होना बताया। विवादित भूमि के आस पास प्रतिवादीगण की जमीन होना ट्यूबवेल मगरी के खाते की भूमि पर होना एवं वादग्रस्त भूमि का दावा अपने जन्म से पहले का होना बतलाया ।

उपरोक्तानुसार वादी प्रतिवादीगण की शहादत लेने के बाद वकील पक्षकारान की बहस समाप्त की गई । वकील वादी ने अपनी बहस में बतलाया कि वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी गण के पूर्वज पेमजी व गौतम ,वो खेमाजी व गौतमजी ,वो वालजी व वेचात डामोर भील निवासी सागवाडा के वहॉ 225 रू में 19 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 25.12.48 को रहन रखे थे अवधि पूर्ण होने से पूर्व रहनकर्ता किशोरीलाल की मृत्यु हो जाने से गोदपुत्र वादी मनोहरलाल ने रहन की अवधि 1967 में पूर्ण होने पर रहन ग्रहिताओं की मृत्यु हो जाने से उनके कायममुकाम धारी प्रतिवादीगण से खेत रहन मुक्त करने ताकिद की किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे एवं रहन राशि लेकर खेतों का कब्जा सुपुर्द्ध नही किया उस पर प्रतिवादीगण को दिनांक 24.02.1969 को खेत रहन मुक्त करने एडवोकेट के मार्फत नोटिस दिया गया प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस कि कोई परवाह नही रखते हुवें कब्जा सुपुर्द्ध नही करने से सन् 1971 में रहन हुई वादग्रंस्त भूमि कब्जा दिलवाने, असल रहननामा प्रतिवादीगण से वादी को सुपुर्द्ध करवाने भूमि का कब्जा सुपुर्द्ध करने तक का हर्जाना दिलवाने एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वादी के खेतों में काश्त करने पर आयन्दा कोई ~~कोई~~ दावा नही करें इस आशय वाद प्रस्तुत किया गया अतः वादी के खेत प्रतिवादी से फमूल रहन कर कब्जा वादग्रस्त भूमि का हर्जाने के साथ सुपुर्द्ध करवाने निवेदन किया । साथ ये बतलाया कि वादी मनोहरलाल गोदपुत्र है मनोहरलाल का गोदनामा पंजीयन शुदा है गोदनामा को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया है अतः मनोहरलाल किशोरीलाल का पुत्र होने के नाते पिता द्वारा रहन रखी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

रहन मुक्त करा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है अतः प्रतिवादीगण से भूमि का कब्जा दिलवाने की डिक्री पारित की जावें।

वकील प्रतिवादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें बतलाया कि प्रकरण के मुख्य तथा वाद के अनुसार दिनांक 27.12.1948 को श्री किशोरीलाल पिता प्यारचन्द्र दोसी ने उनके खाता संख्या 760/2 की भूमि श्री पेमजी के नाम 19 वर्ष के लिये रहन रखी थी अवधि समाप्त हो जाने के कारण भूमि रहन मुक्त कर कब्जा सुपुर्द्ध किया जावें वाद में यह भी अभिकथन किया गया कि श्री किशोरीलाल ने दिनांक 30.04.1963 को वादी मनोहरलाल को उसकी माता मणीबाई तथा भाई श्री बसन्तलाल से गोद लिया था। श्री किशोरीलाल की मृत्यु हो जाने से श्री मनोहरलाल वादी ने अपने आपको उत्तराधिकारी बताकर वाद दिनांक 15/10/1971 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने दिनांक 02/02/72 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार नही किया और यह कथन किया कि श्री किशोरीलाल को श्री पेमजी और उसका भाई लगान देते है और काश्त करते आ रहे है। श्री पेमजी की पत्नी श्रीमती मगरी श्री मनोहरलाल के धर काम करती थी प्रतिवादीगण ने रहन रखने के तथ्य को अस्वीकार किया । श्री मनोहरलाल की गोद नशीनी द हिन्दु दत्तक एवं मैनटेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधानों के विरूद्ध होने से अवैध ,झुठा , प्रभावहीन बताया गया । श्री मनोहरलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 30/04/63 की रजीस्ट्री करना और समाज के साथ रिवाजानुसार जाति वालों के सामने उसकी माता मणीबाई एवं भाई श्री बसन्तलाल ने गोद देना व्यक्त किया और तारिख 30/04/63 को गोदनामा प्रदर्शित करवाया । रहननामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श को पेश किया तथा गिरदावरी की नकल प्रदर्श पांच और लालु वगेरा के खिलाफ रेवेन्यू अपीलान्ट ऑथोरिटी का निर्णय है एसडीओं साहब का फैसला दिनांक 31/07/69 प्रदर्श सात प्रस्तुत किया। किशोरलाल की गोद में उसकी माता तथा भाई के द्वारा गोद में बैठाना बतलाया । फिर उसने मुख्य परीक्षण में कहा मेंरी मॉ ने हाथ पकड रखा था मेंरी मॉ को लकवा पडा था मेरी मॉ को लकवा अन्दाजन दो तीन साल से पडा था आगे बयान किया कि रस्म के समय मौजूद नही थी आगे बयान किया कि दोनों मुकदमें की जमीन अलग–अलग है मुकदमा नम्बर 31/65 मेंरे द्वारा बोई गई काश्त जबरन काश्त मुद्दायला द्वारा कराने का दावा था। मौजूदा दावा खेतों को फमूल रहन कराने का है । वादी मनोहरलाल ने अपने बयान के कथन किया है कि गोद में जब गया तब मेंरी उम्र 18 वर्ष की थी आगे बयान किया है कि मेंरी माता प्रदर्श तीन गोदनामा लिखे जाने के वक्त पर किसके मकान पर थी याद नही जहॉ लिखा गया वहॉ मौजूद थी या नही मुझको याद नही गोदनामा लिखने वाले वकील श्री नाथूलालजी मेंरे दादाजी थे। गोद मुझे लिया तब मैं बालिंग हो चुका था गोदनामा में मेंरी माता का अंगुठा या स्वीकृति के नही है मेंरे बडे भाई के हस्ताक्षर है एक दिन पहले गोद रखने की रस्म रिवाज किया गया ऐसा नही लिखा है लेकिन रस्म रिवाज हो चुका है ऐसा लिखा है मुझको किशोरीलाल को गोद देना नही लिखा है बल्कि मेंरे मकान पर गोद रखा है प्रदर्श तीन में मेंरी मॉ ने किशोरीलाल की गोद में मुझे बैठाया और किशोरीलाल की गोद में बैठाना नही लिखा है ,रस्म हुई थी क्यों नही लिखा गया यह मैं नही बता सकता । श्री बसन्तलाल PW4 ने प्रदर्श तीन की तादाद के सम्बन्ध में बयान किया है जीरह में इस साक्षी ने बताया कि मेंरी मॉ बीमार रहती थी अर्थात उसकों लकवा था मैने गोद स्वीकृति में हस्ताक्षर कियो ऐसा नही है गोद नशीनी के रिवाज के अलावा अन्य किसी गोदनशीनी के रस्म रिवाज में शामिल नही हुआ है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से गोदनशीनी प्रमाणित नही है प्रदर्थ तीन द हिन्दु एडाप्टशन एवं मैनटेन एक्ट 1956 की धारा 5,6,9,10 के प्रावधानो के विरूद्ध है उक्त एक्ट की धारा 3 में स्पष्ट लिखा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही गोद जा सकता है धारा 6(11) के अन्तर्गत गोद जाने वाला व्यक्ति गोद जाने योग्य होना चाहिए एवं गोद देने वाला व्यक्ति को गोद देने का अधिकार होना आवश्यक है धारा 10(11) के अनुसार पन्द्रह वर्ष की उम्र अथवा इससे कम की आयु का व्यक्ति गोद जा सकता है धारा 10(11) में बच्चे को गोद देने वाले माता पिता के द्वारा गोद में बैठाना आवश्यक है अधिनियम के उक्त प्रावधानों के विपरीत प्रदर्श तीन में अंकित गोदनशीनी है गोदनामा पर गोद देने की स्वीकृति उसकी माता श्रीमती मणीबाई की होना भी प्रमाणित नही है न्यायिक दृष्टान्त RRT 2011 PAGE 520(1) Ghijulal V/S Dhapubai(dead) By L'RS & Other के अनुसार गोदनशीन है अवैध होना बतलाया क्यों कि मणीबाई ने जो कि वादी की वास्तविक माता है ने गोद नही दिया है पन्द्रह वर्ष से अधिक की उम्र का व्यक्ति गोदनामें का रिवाज वादी के द्वारा अपने वाद में कथन नही किया है रिवाज अत्यन्त पुराना होना तथा इसको निरन्तर माना जा रहा है इस प्रकार की साक्ष्य का अभाव है धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत रिवाज को प्लीड करना आवश्यक होता है । वादी की साक्ष्य में अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा प्रमाणित नही हुवा है श्री मनोहरलाल श्री किशोरीलाल का दत्तक पुत्र है और श्री किशोरीलाल की जायदाद पर गोदपुत्र होने से काबिज है। प्रस्तुत रहननामा प्रमाणित नही है धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसको प्रस्तुत करने की स्वीकृति नही ली गई है। राजस्व रेकार्ड में रहन होने का कोई इन्द्राज नही है प्रतिवादी मगरी का पति श्री पेमजी और उसका भाई खेमजी अशिक्षित भेले अत्यन्त पिछडे वर्ग के गरीब आदिवासी काश्तकार थे श्री किशोरलाल के बडे भाई नाथूलालजी वकील थे । उसके प्रभाव के कारण रहननामा लिखना व रजिस्टरर्ड होना असंभव नही था। षडयन्त्र कर भूमि हडप करने रहननामा लिखा जाना तथा रजिस्टर्ड कराना असंभव नही था। गिरदावरी सवत् 1968 में प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार अंकित है और रहननामा भूमि रहन होने का अंकित नही है करीब 80 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के जरिये इस भूमि पर काबिज है पोल बनाई है कुऑ खोदा है और मकान बनाया है काश्त करते है यह तथ्य पूर्ण तथा प्रमाणित है प्रतिवादी मगरी व उसके गवाहान के बयान से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रतिवादीगण के मकान इस भूमि पर बने हुए है तथा इस भूमि पर कुऑ खोदा गया है उन्होने खेतों को उन्नत किया है पाले वाली हजारों रूपया व्यय किया है । इस भूमि को उपजाउ बनाया है ।

उपरोक्तानुसार वकील पक्षकारान की बहस समाप्त कर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया गया।

तनकी नम्बर 1:—वादी की ओर से 04/01/74 को प्रस्तुत रहननामा अनुसार श्री किशोरीलाल द्वारा खाता नम्बर 706/2 की आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वजों के पास 225/—रू में रहन बम्याद 19 वर्ष के लिये रखी थी ,अवधि पूर्ण होने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा काश्त की भूमि का कब्जा सुपुर्द्ध नही करने से वादी द्वारा वकील के जरिये प्रतिवादीगण को भूमि का कब्जा देने बाबत् नोटिस भी दिया । नोटिस EX4 दिनांक 20/04/79 में भूमि रहन रखने एवं अवधि पूर्ण होने से रहन मुक्त करने बाबत् विस्तृत विवरण है प्रतिवादीगण द्वारा खेतों का कब्जा सुपुर्द्ध नही करने से उपरोक्त विवरण अनुरूप वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का रहन के रूप में कब्जा होना प्रमाणित है अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

तनकी नम्बर 2:– रहन रखी गई भूमि पर रहिन ग्रहिता के हस्ताक्षर सहमति के आवश्यक है या नही इसकी प्रमाणिकता हेतु वकील वादी या वकील प्रतिवादी द्वारा कोई तथ्य/नजीर प्रस्तुत नही की है किन्तु जहां तक भूमि रहन रखने का प्रश्न है ,रहन ग्रहिता द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त कर काश्त करना अपने आप में एक सहमति ही है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3:– प्रतिवादीगण के गवाह श्री धनपाल/भेमजी डामोर भील निवासी मडकोला ,नाना पिता हलिया भील निवासी मडकोला एवं हाजिया पिता पेमजी डामोर निवासी मडकोला के बयानों से दस्तावेज रहननामा एवं वादी द्वारा भूमि रहन मुक्त कर व कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 19/11/2005 कब्जा सुपुर्द्ध करने नोटिस के अवलोकन से विवादग्रस्त आराजियात श्री किशोरीलाल के जीवनकाल में प्रतिवादीगण को सुपुर्द्ध की थी ,तब से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का काश्त कब्जा रहन के रूप में चला आ रहा है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर 4:–वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण मकान एवं कुऑ व पाले डालकर आबाद की ,उस समय वादीगण द्वारा रोकने के लिये ही जरिये नोटिस 24/02/69 को रहन रखी भूमि का कब्जा सुपुर्द्ध करने सूचित किया था, इसके अतिरिक्त प्रतिवादी के गवाह श्री हाजिया पिता पेमा उर्फ पेमजी निवासी मडकोला ने अपने बयान के जीरह में यह कथन किया है कि आज भी यह जमीन उचीं नीची है जमीन पर कुऑ करीब अस्सी वर्ष पुराना है। ट्यूब वेल हमारें खाते भी जमीन पर ही है यह बात सही है कि हमने हमारी जमीन पर बनाये है कुछ मकान हमारी जमीन पर है । कुछ मकान विवादित जमीन पर है। उपरोक्त तथ्यों से वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द्ध करने सूचित किया था, गवाहान के बयान से वादग्रस्त भूमि पर कोई परिवर्तन नही हुआ है । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5:– वकील वादी बहस में बतलाया है कि रहन की अवधि सन् 1967 में पूर्ण होते ही वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि रहन मुक्त कर कब्जा देने ताकीद की थी किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे जिस पर नोटिस दिनांक 24/02/69 को दिया जाय। वाद दिनांक 15/10/71 को प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी की ओर से वाद म्याद पश्चात प्रस्तुत करने सम्बन्धित कोई दृष्टान्त प्रस्तुत नही किया है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से तनकी नम्बर 1,2,4,5 बहक वादी निर्णित होने वादी मनोहरलाल किशोरलाल उर्फ कचरूलाल का दत्तक पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रतिवादीगण के पास वादग्रस्त आराजीयात रहन के रूप में होकर काबिज है अतः प्रतिवादीगण को मौजा सागवाडा के सवत् 2057 के खाता नम्बर 733/7/8 की भूमि से बेदखल किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भविष्य में प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी पर वादी को काश्त करने में किसी प्रकार का दखल नही करें। प्रतिवादीगण हर्जाना के रूप में 2000/- (अक्षरे दो हजार) वादी को भूगतान करें। पर्चा डिकी पृथक पृथक से तैयार कर संलग्न किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner